नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1981

सा॰का॰नि॰ 725 :—महापत्तन न्यास (बोर्ड अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 343, तारीख 12 मार्च, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 28 मार्च, 1981 के पृष्ठ 872-873 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 4 अप्रैल, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पूर्व कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम्, कांडला, मार्मुगाओ, पारादीप, तूतीकोरिन और नवमंगलौर पत्तनों के न्यासी बोर्डों के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार को लागू होंगे।

2. अधिवेशनों की आवृत्ति—नियम 3 में निर्दिष्ट विशेष अधिवेशन से भिन्न, बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगा।

(2) बोर्ड, समय समय पर, अपने अधिवेशन की तारीख और समय अवधारित करेगा :—

परन्तु यदि बोर्ड, किसी कारणवश ऐसा करने में असमर्थ है तो अध्यक्ष कारणों को लेखबद्ध करके ऐसा कर सकेगा।

(3) कोई अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब बोर्ड अपना कोई अधिवेशन, कारणों को लेखबद्ध करके, पहले ही किसी अन्य स्थान पर करने का विनिश्चय करता है, अपने पत्तन के परिसर में होगा।

3 विशेष अधिवेशन का बुलाया जाना —अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, जब भी वह ठीक समझता है और कम से कम तीन न्यासियों के लिखित अनुरोध पर, बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

4 कार्यसूची आदि का परिचालन :—बोर्ड के किसी अधिवेशन की कार्यसूची को और उस पर टिप्पणियों या ज्ञापन को, अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पहले परिचालित किया जाएगा।

5. कार्यसूची में सम्मिलित न की गई मदों पर विचार विमर्श :—अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, स्वविवेकानुसार बोर्ड के किसी अधिवेशन में, जिसमें विशेष अधिवेशन भी सम्मिलित है, ऐसी किसी मद को, जो कार्यसूची में नहीं है विचार-विमर्श के लिए सम्मिलित कर सकता है यदि उसकी राय में वह पर्याप्त महत्व की या अत्यावश्यकता की या दोनों की है और उसे बोर्ड के किसी पश्चात्वर्ती अधिवेशन में विचार के लिए रोका नहीं रखा जा सकता।

6. मतदान :—यदि किसी प्रश्न पर मतदान की मांग होती है तो अधिवेशन का सभापति मतदान करने वाले न्यासियों के नाम और उनके मतों की प्रकृति अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियम और 7 और 8 के प्रयोजन के लिए, "सभापति" पद से अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित न्यासियों द्वारा बोर्ड के अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए अपने में से चुना गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

7 अधिवेशन का कार्यवृत्त —(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे जिस पर यथासाध्य शीघ्र ऐसे अधिवेशन का सभापति हस्ताक्षर करेगा और वह पुस्तक कार्यालय समय के दौरान किसी भी न्यासी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

(2) कार्यवाही का कार्यवृत्त उसके ऐसे भाग के सिवाय जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, किसी विशिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय समय के दौरान जनता के निरीक्षणार्थ भी उपलब्ध रहेगा।

(3) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे।

(4) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित न्यासी, बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक या रजिस्टर में अपने नाम का हस्ताक्षर करेगा।

(8) अधिवेशन का स्थगन —किसी अधिवेशन का सभापति, उसे किसी पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा, जो तारीख या तो अधिवेशन में ही घोषित की जाएगी, जिस दशा में अधिवेशन से अनुपस्थित न्यासियों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जाएगी या न्यासियों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले संसूचित की जाएगी।

[फा॰सं॰-पी॰जी॰एल॰-3/80]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 13th July, 1981

G.S.R. 725.—Whereas the draft of the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 was published, as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), at pages 872-873 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i), dated the 28th March, 1981, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing), No. G.S.R. 343, dated the 12th March, 1981 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th April, 1981;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the business transacted at the meetings of the Boards of Trustees of the Ports of Calcutta, Bombay, Madras, Cochin, Visakhapatnam, Kandla, Mormugao, Paradip, Tuticorin and New Mangalore.

2. Frequency of meetings.—A meeting of the Board other than a special meeting referred to in rule 3, shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall, from time to time, determine the date and time of its meetings.

Povided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman, may do so, for reasons to be recorded in writing.

(3) A meeting of the Board shall be held at port premises of the respective ports, except where the Board in advance decides to hold any meeting at any other place for reasons to be recorded in writing.

3. Calling of special meetings.—The Chairman or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may, whenever he thinks fit, and shall, upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting of the Board.

4. Circulation of agenda, etc.—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

Provided that in the case of a special meeting, such agenda and notes or memoranda shall be circulated at least one day before the date of the meeting.

5. Discussion on items not included in the agenda.—The Chairman, or in his absence, the Deputy Chairman, if appointed may at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting any item not included in the agenda, if the same is, in his opion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. Poll.—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

Explanation.—For the purpose of this rule and rules 7 and 8, the expression 'President' shall mean the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves to preside at the meeting of the Board.

7. Minutes of the meeting.—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall, be recrded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof, as the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the Office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

(4) A Trustee present at any meeting of the Board shall sign his name in a book or register to be provided by the Board for the purpose.

8. Adjournment of meeting.—The President of a meeting may adjourn it to a later date, which date shall either be announced at the meeting in which case intimation shall be sent to the Trustees absent at the meeting at least three days in advance, or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[PW-PGL-3/80]